राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–38 (लो0सू0अ0) / 2022–23

श्री अनिल कुमार अनल, मास्टर ऑफ लॉ, द्वारा–स्वर्गीय सत्यभामा देवी, पानी टंकी चौक वार्ड नं॰ः–20, मधेपुरा

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, बी॰एन॰मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
17.08.2022	श्री अनिल कुमार अनल, मास्टर ऑफ लॉ, द्वारा–स्वर्गीय सत्यभामा देवी, पानी टंकी चौक वार्ड नं॰ः–20, मधेपुरा के माध्यम से एक द्वितीय अपील आवेदन दिनांक– 11.08.2022 इस कार्यालय में दिनांक–16.08.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का एक पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 419145 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री अनिल कुमार अनल ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–09.06.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, बी॰एन॰मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा को दिया था तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–कुलपति, बी॰एन॰मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के समक्ष प्रथम अपील दायर करने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष द्वितीय अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक– 09.06.2022 एवं प्रथम अपील आवेदन दिनांक–11.07.2022 की प्रति भी संलग्न है। विदित हो कि बिहार राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए द्वितीय अपीलीय प्राधिकार राज्य सूचना आयोग है न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय है। अपीलकर्त्ता श्री अनिल कुमार अनल ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष द्वितीय अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। 17/8/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या–38 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री अनिल कुमार अनल, मास्टर ऑफ लॉ, द्वारा–स्वर्गीय सत्यभामा देवी, पानी टंकी चौक वार्ड नं॰:–20, मधेपुरा

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, बी॰एन॰मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
17.08.2022	श्री अनिल कुमार अनल, मास्टर ऑफ लॉ, द्वारा–स्वर्गीय सत्यभामा देवी, पानी टंकी चौक वार्ड नं॰:–20, मधेपुरा के माध्यम से एक द्वितीय अपील आवेदन दिनांक– 11.08.2022 इस कार्यालय में दिनांक–16.08.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का एक पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 419145 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री अनिल कुमार अनल ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–09.06.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, बी॰एन॰मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा को दिया था तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–कुलपति, बी॰एन॰मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के समक्ष प्रथम अपील दायर करने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष द्वितीय अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक– 09.06.2022 एवं प्रथम अपील आवेदन दिनांक–11.07.2022 की प्रति भी संलग्न है। विदित हो कि बिहार राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए द्वितीय अपीलीय प्राधिकार राज्य सूचना आयोग है न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय है। अपीलकर्त्ता श्री अनिल कुमार अनल ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष द्वितीय अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। (ह॰) 17/8/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार ज्ञापांक– 1087/रा॰स॰(iv) दिनांक–18.08.2022 प्रतिलिपि– लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ लोक सूचना पदाधिकारी, बी॰ एन॰ मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/ श्री अनिल कुमार अनल, मास्टर ऑफ लॉ, द्वारा–स्वर्गीय सत्यभामा देवी, पानी टंकी चौक वार्ड नं॰:–20, मधेपुरा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (ह॰) 17/8/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी	